भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2846

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ को आपदा घोषित करना

2846. श्री खलीलुर रहमानः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तीन राज्यों नामतः पश्चिम बंगाल, असम और बिहार प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन राज्यों में बाढ़ का भयावहता को देखते हुए बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): तीन राज्य नामत: पश्चिम बंगाल, असम और बिहार प्रतिवर्ष अलग-अलग मात्रा में आने वाली बाढ़ का सामना करते हैं। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के वर्ष 2024 के प्रकाशन "भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आकलन" के अनुसार, 1986-2022 की अवधि के दौरान उपग्रह चित्रों से ली गई तस्वीरों के माध्यम से पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन क्रमश: 184 मेगा हेक्टेयर, 2477 मेगा हेक्टेयर और 2914 मेगा हेक्टेयर क्षेत्र के रूप में किया गया है।

(ख) और (ग): बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अपेक्षित राहत उपाय उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राहत उपाय किये जाने हेतु राज्य सरकार के पास राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के रूप में धनराशि उपलब्ध होती है। एसडीआरएफ के अलावा, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाता है और इसे गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापनों के आधार पर अनुमोदित किया जाता है।
